भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1877

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

ओडिशा में माओवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी

†1877. चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत जुलाई माह में ओडिशा के कुरतमगढ़ के पास माओवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में कई आदिवासी मारे गए, जिसकी वजह से स्थानीय आदिवासियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में देश में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ों में आम नागरिक मारे गए हैं;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं में मारे गए परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): जी, नहीं।

(ख): विगत 3 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में मुठभेड़ों/गोलीबारी में मारे गए आम नागरिकों का ब्यौरा संलग्न है।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय "आतंकवादी/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ित आम नागरिक की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत मृत्यु या अशक्तता/नि:शक्तता की स्थिति में पीड़ित आम नागरिक/पीड़ित आम नागरिक के निकटतम संबंधी को 3 लाख रु. की राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य को राज्य सरकारों द्वारा कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया हो। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार, प्रत्येक मृतक आम नागरिक 1.00 लाख रु. की दर से, वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह के भुगतान के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों द्वारा 106 जिलों में किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। यह योजना दिनांक 31.03.2016 तक प्रभावी थी।

.....2/-

अनुलग्नक

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 1877

मुठभेड़/गोलीबारी के दौरान मारे गए आम नागरिक

राज्य	2013	2014	2015	2016 (25 जुलाई तक)
छत्तीसगढ़	0	0	0	2
झारखण्ड	4	0	0	0
महाराष्ट्र	2	0	0	0
ओडिशा	0	0	2	5
कुल	6	0	2	7